



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिहासगत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	--

30/5/46

पत्रावली के 9 डी वरीय पर
उपस्थित। चेंबरम-सामा
उपस्थित थे परन्तु इन
मध्य नवी बी जी एच थे
मंतः उक्त ग निस्कारण
मदिर के आधार पर बिना
जाल उपस्थित उगीत रंग थे
पत्रावली का कबलोकन किण
मण। वारी/उपस्थित इन बादास
शुक्ति बलम मोदयन उप तदनील
न. कवी खाला से ॥ के उपस्थित
रव. ०। $\frac{302}{0.33}$ से, के खानेशरी
उति वारी कद 1 व 2 के इन
उपस्थित शुक्ति पर बिना शुक्ति
रूपान्तरण कथार्य उस पर प्लाट
काटने व बचने का कथन
कले इए उक्त शुक्ति पर न
उतिवासीका के व उक्त न
उक्त शुक्ति न खाला सामा
इस किर्ष जगन का कबलोकन
पद्य मपा है।

वारी/उपस्थित एवं उतिवासी/
कडाधीगण केने ही पत्रों के


 उपखण्ड अधिकारी
 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम क में ज
	<p> आप साक्ष्य के पक्ष नहीं निरर्थक शर्त थे किन्तु क्रमांक में वाड की डिपॉजिट नहीं की जा सकी परन्तु उरण में लक्ष्मीलाल रामगंजमण्डी आप उनके पत्रांक क्रमांक/ क्रमांक/2023/ 237 दिनांक 14/02/2023 से प्रत्यक्ष की गई मोर रिपोर्ट अनुसार ग्लान गोप्यकृत्य के स्वल्प नम्बर 302 नम्बर 0.33 है मोर के पर खाली पड़ी है प्लान कार्टनेव गैर कृषि प्रयोजनार्थ में भूमि का लक्षण जाना साबित नहीं हो सके है </p> <p> अतः साक्ष्य के क्रमांक में डाका/ डा.फ. आप 177 R.T.A. 1955 स्थानिक रिपॉजिट वाला है प्रमाणिक कुल्ल शुकल की आप नम्बर में क्रम की साखिल रफ्तार की </p> <p> निरर्थक आप दिनांक 30/5/24 को दुगाप गप। </p> <p style="text-align: right;">  — पाद [I.A.S.] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) </p>	